



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(ISO 9001 : 2008 एवं ISO 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक-48 / प्रवर्तन जोन-1/2019

दिनांक 25/11/2019

परिशिष्ट-6 प्रपत्र 'ब' / भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट-6-प्रपत्र 'ब' भाग-अ, ब, स की फोटोकॉपी साथ में संलग्न है।)

खसरा सं-962 ग्राम-नूरनगर, राजनगर एक्सकटेशन गाजियाबाद पर बांके बिहारी इन्फ्रा0 होम्स प्रा0लि0 द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग "अग्रवाल हाईट्स" जिसका स्वीकृत मानचित्र सं0-1173/जोन-1/11-12 दिनांक 30.01.2011 व संशोधित स्वीकृत मानचित्र संख्या-373/जोन-1/जी0एच0 /14-15 दिनांक 01.10.2014 स्वीकृत दिनांक 13.04.2015 के अन्तर्गत आवेदक/विकासकर्ता द्वारा उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग में निर्मित ब्लॉक संख्या-ए व बी का आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु दिये गये आवेदन/प्रमाण-पत्रों का परीक्षण खण्डीय अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 23.11.2019 को प्रदान की गई है। अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अन्तर्गत आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र, पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों क्रम संख्या-1 से 18 के अधीन जारी किया जाता है।

25/11/19.

प्रभारी, प्रवर्तन जोन-1

शर्तें/प्रतिबन्ध :-

1. विकासकर्ता को संशोधित स्वीकृत मानचित्र संख्या-373/जी0एच0/जोन-1/14-15 दिनांक 01.10.2014 स्वीकृत दिनांक 13.04.2015 से पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या-1173/ जी0एच0/जोन-1/11-12 दि0 30.11.2011 एवं शमन मानचित्र की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा एवं मास्टर प्लान की अवशेष देयता जमा करानी होगी। वर्तमान में मात्र 02 ब्लाको (ए-160 इकाईयों व बी-140 इकाईयों) का आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किये जा रहा है कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सम्पूर्ण ग्रुप हाउसिंग के निर्माण/विकास कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
2. स्थल पर सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्ट का संचालन सुनिश्चित करते हुये, दिये गये शपथ पत्र दिनांक 13.08.2019 का अनुपालन करना होगा।
3. अग्निशमन उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखना होगा एवं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित शर्तों का पालन करना होगा। प्रत्येक वर्ष अग्निशमन अनापत्ति का नवीनीकरण कराना होगा एवं नवीनीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
4. संरचना सुरक्षा एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों की क्रियाशील/सुरक्षा का दायित्व स्वयं विकासकर्ता का होगा।
5. उपरोक्त टावरों के अतिरिक्त अन्य टावरों पर निर्माण/विकास कार्य प्रगति पर है आंशिक सम्पूर्ति उपरान्त निवास किये जाने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा का सम्पूर्ण दायित्व विकासकर्ता का होगा तथा निर्माण सामाग्री एवं टी0एण्डपी0 के आगमन हेतु पृथक रूप से व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। किसी भी विपरीत परिस्थिति में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
6. समस्त शासकीय विभागों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तों प्रतिबन्धों तथा आवेदक/विकासकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत सभी शपथ पत्रों एवं वचनबद्धताओं का अनुपालन करना होगा। किसी भी शपथ पत्र/वचनबद्धता की किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में निर्गत सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढ़े हुए विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क व प्राधिकरण कोष में जमा किये गये अन्य शुल्कों पर त्रुटिपूर्ण गणना होने की दशा में, देय शुल्क बिना किसी आपत्ति के प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
8. अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के गठन उपरान्त अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को सुविधाओं सहित हस्तान्तरण तक समस्त सुविधाओं आदि का अनुरक्षण विकासकर्ता द्वारा ही किया जायेगा।
9. लिफ्ट के संचालन के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा एवं लिफ्ट के संचालन व अनुरक्षण से सम्बन्धित जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
10. पर्यावरण विभाग की अनापत्ति पत्र एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देश एवं MOEF की गाईड लाईनस एवं उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
11. माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किये जाने की जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
12. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
13. ग्रीन एरिया की रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
14. विद्यमान निर्माण में यदि भविष्य में कोई विचलन हुआ पाया जाता है तो उसे शमन कराना होगा।
15. पूर्ण परिसर का सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले, सोलर वाटर हिटिंग संयंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
16. विकासकर्ता/ए.ओ.ए. को यू.पी. अपार्टमेंट एक्ट-2010 नियमावली-2011 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
17. वाटर सप्लाई/सीवर तथा अन्य सभी प्रकार के रख-रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा किसी भी समय आन्तरिक विकास कार्यों को हैण्ड ओवर करने की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। पेयजल की व्यवस्था हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
18. विकलांगों हेतु रैम्प की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता

प्रभारी प्रवर्तन जोन-1